

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
1st Floor, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna-800015

(Tel: 0612-2210000; Email-udhd.bih@gmail.com)

04/Account-10/2016

1084

/Ud & Hd

Date 2/5/2017

The Branch Manager

Canara Bank

S.K.Puri ,Boring Road, Patna.

Please remit the amount through RTGS, as per the following details, by debiting BUDA account for the amount of remittance.

Remitter's Details : Principal Secretary/Additional Secretary-cum-Director, UD&HD

Account Title : Bihar Urban Development Agency (BUDA)-AMRUT(CENTRAL)

Debit Account No. : SB A/C No.-1967101013736

Sanction Letter No. 254 / 20.03.2017


Approval Date 24.04.2017

File No :03/AMRUT-03-01/2016


Beneficiary Details:

SL. No	Beneficiary Name	Account No.	Bank	Branch	IFSC Code	Remittance Amount (Rs.)
1	Executive Officer, Municipal council Chhapra	35934015280	SBI	CHHAPRA	SBIN0016621	30,877,200.00
Total=						30,877,200.00

(Three Crore Eight Lakh Seventy Seven Thousand Two Hundred Only)


28/4/17

Additional Secretary-cum-Director,
Urban Development & Housing Dept.
GoB. Patna


28/4/2017

Principal Secretary,
Urban Development & Housing Dept.
GoB. Patna

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ कार्यालय आदेश ॥

84

सं०-03/AMRUT-03-01/2016- 142

/न०वि०एवं०आ०वि० दिनांक-

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत SAAP-I की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नगर परिषद, छपरा को विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-114 दिनांक-01.03.2016 आवंटनादेश सं०-115 दिनांक-01.03.2016 द्वारा रू० 343.08 लाख रू० राज्यांश के रूप में आवंटित की गई थी। नगर परिषद, छपरा द्वारा कतिपय कारणों से मात्र रू० 34.308 लाख की निकासी की गई तथा शेष राशि रू० 308.772 लाख का निकासी नहीं किया जा सका। नगर परिषद, छपरा द्वारा रू० 308.772 लाख का अनिकासी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु अनिकासी राशि के बराबर राशि रू० 308.772 लाख की निकासी की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-254 दिनांक-20.03.2017 आवंटनादेश सं०-255 दिनांक-20.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में दी गई है। उक्त स्वीकृत राशि रू० 308.772 लाख नगर परिषद, छपरा को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि 308.772 लाख (तीन करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ रू० मात्र) नगर परिषद, छपरा को बुडा में रक्षित AMRUT योजना की राशि से RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जाएगा।

3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(संजय दयाल),
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पत्रांक-03/AMRUT-03-01/2016- /पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि-नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
विशेष सचिव।

पत्रांक-03/AMRUT-03-01/2016- 1004 /पटना, दिनांक- 25/4/17

प्रतिलिपि-उप निदेशक, बुडा/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक के आप्त सचिव/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/4/17
विशेष सचिव।